



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 5, मंगलवार, शाके 1934- जून 26, 2012
Asadha 5, Tuesday, Saka 1934-June 26, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 20, 2012

संख्या प.1(24)वन/2008:- वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार एतद् द्वारा ग्राम टहला तहसील राजगढ़ जिला अलवर की भूमि, जो जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/2012/2746 दिनांक 27-03-2012 से वन विभाग को संजय नगर भट्टा बस्ती पुनर्वास योजना के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य से 70 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु स्थानांतरित की गयी 85.44 हैक्टेयर भूमि, जिसका विवरण अनुसूची- प्रथम में है तथा उसके समीपवर्ती अन्य 215.78 हैक्टेयर भूमि, जिसका विवरण अनुसूची- द्वितीय में है, कुल 301.22 हैक्टेयर भूमि, जिनकी सीमा विवरण अनुसूची- तृतीय के अनुसार है तथा उक्त भूमियाँ सरिस्का अभयारण्य की समीपवर्ती हैं, को उनकी पारिस्थितिकी, प्राणी जातीय, वन एवं स्थानीय भू-संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित करने के आशय की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में "सरिस्का "अ" अभयारण्य" के रूप में जाना जाएगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। "सरिस्का "अ" अभयारण्य" क्षेत्र के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर अधिनियम की धारा 19 से 26-क की कार्यवाही करेंगे।

अनुसूची- प्रथम

जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा स्थानांतरित भूमि का विवरण

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टर में	किस्म भूमि
1.	टहला	10/2211	2.94	वन विभाग
		13	4.17	वन विभाग
		14	8.70	वन विभाग
		29/2104	2.10	वन विभाग
		72/2105	7.80	वन विभाग
		101	25.54	वन विभाग
		126	17.30	वन विभाग
		127	16.89	वन विभाग
	योग :-	85.44		

अनुसूची- द्वितीय

अन्य समीपवर्ती भूमियों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टर में	किस्म भूमि
1	2	3	4	5
1.	नडोली	1	11.86	चारागाह
		2	9.00	वन विभाग
		3	7.45	चारागाह
		4	1.65	चारागाह
		6	0.24	वन विभाग
		7	2.14	वन विभाग
		177	0.18	वन विभाग
		178	1.40	वन विभाग
		179	4.66	बंजड़
		180	3.75	वन विभाग
		203	0.45	वन विभाग
		204	6.82	वन विभाग
		205	1.65	वन विभाग
	योग :-		51.25	

1	2	3	4	5
2.	टहला	5	3.24	चारागाह
		7	15.14	चारागाह
		8	14.25	चारागाह
		9	0.75	वन विभाग
		19	7.69	मै.मु. केम्पिंग ग्राउण्ड
		22	1.20	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		23	19.62	चारागाह
		24	9.08	चारागाह
		25	2.75	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		30	31.30	चारागाह
		30/2191	1.49	बंजड़
		31	1.10	बंजड़
		32	0.15	बंजड़
		33	0.05	चारागाह
		34	9.74	चारागाह
		74	5.83	चारागाह
		75	19.36	चारागाह
		76	1.90	वन विभाग
		99	3.55	बंजड़
		100	9.74	मै.मु. पहाड़
		102	0.36	बंजड़
		125	5.44	बंजड़
		128	0.80	बंजड़
	योग :-	164.53		
महायोग :-	215.78			

अनुसूची- तृतीय
सीमा का विवरण

दिशा	सीमा विवरण
1	2
उत्तर	सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित ग्राम नडोली के खसरा नं. 1 व 23 के मिलन बिन्दु (बागोरी नाला) से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ रुंध राजडोली व ग्राम टहला के खसरा नं. 29 व 30 के मिलन बिन्दु तक
पूर्व	रुंध राजडोली व ग्राम टहला के खसरा नं. 29 व 30 के मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के साथ-साथ दक्षिण में चलते हुए ग्राम टहला के खसरा नं. 76 (जहाज का रास्ता) के मिलन बिन्दु तक।
दक्षिण	ग्राम टहला के खसरा नं. 76 (जहाज का रास्ता) व सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य सीमा के मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर पश्चिम में चलते हुए ग्राम टहला के खसरा नं. 76 व 77 की सीमा के साथ - साथ ग्राम टहला के खसरा नं. 76, 80 व 83 के मिलन बिन्दु तक। यहां से चलकर उत्तर दिशा में खसरा नं. 73 की पूर्वी-उत्तरी व पश्चिमी सीमा के साथ-साथ खसरा नं. 76 की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ ग्राम टहला के खसरा नं. 72/2105 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ खसरा नं. 68 व 67 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, खसरा नं. 32 व 33 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ तथा खसरा 34/2222 की पूर्वी व उत्तरी सीमा के साथ-साथ टहला-सरिस्का पक्की सड़क तक यहां से पक्की सड़क के साथ-साथ दक्षिण की तरफ चलते हुए ग्राम टहला के खसरा नं. 9 के मिलन बिन्दु से होते हुए खसरा नं. 9 (रास्ता) की दक्षिण सीमा के साथ-साथ चलते हुए ग्राम टहला की सीमा पर खसरा नं. 10 के मिलन बिन्दु तक। यहां से चलकर ग्राम टहला के खसरा नं. 10 के पश्चिमी, दक्षिणी तथा खसरा नं. 10/2211 की उत्तरी, पूर्वी दक्षिणी की सीमा के साथ साथ चलते हुए खसरा नं. 11 व 12 को छोड़ते हुए खसरा नं. 13 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर खसरा नं. 14 की उत्तरी व पूर्वी सीमा, खसरा नं. 19 की उत्तरी सीमा के साथ टहला-सरिस्का पक्की सड़क तक। यहां से चलकर

269

1

2

ग्राम टहला के खसरा नं. 99 की पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी सीमा के साथ साथ खसरा नं. 102, 125 व 128 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलकर दक्षिण में चलते हुए खसरा 128, 127 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलकर खसरा नं. 127 की दक्षिण, पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, खसरा नं. 126, 101, 100 की दक्षिण सीमा के साथ टहला-सरिस्का पक्की सड़क पार कर खसरा नं. 19 की दक्षिण सीमा के साथ-साथ होकर खसरा नं. 19 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ खसरा नं. 14 व 15 के मिलन बिन्दु तक। यहां से ग्राम टहला के खसरा नं. 14, 13 तथा नडोली के खसरा नं. 205 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ होते हुए ग्राम नडोली के खसरा नं. 206 के मिलन बिन्दु तक।

पश्चिम ग्राम नडोली के खसरा नं. 206 व 205 के मिलन बिन्दु से प्रारम्भ होकर ग्राम नडोली के खसरा नं. 205, 204, 203, 180, 179, 178, 177, 7, 6 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलते हुए ग्राम नडोली के खसरा नं. 4, 3 व 1 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ खसरा नं. 1 व 23 के मिलन बिन्दु (बागोरी नाला) तक।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी. एस. रत्नासामी,
शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।